न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस)

किशनाराम के का.मु. श्रीमती जीमना व अन्य

बनाम

सेमी इत्यादि

उपस्थित

1. श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री जगदीश प्रजापत, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक व दो
3. श्री दयाराम चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 04

आदेश

दिनांक 10 जून 2025

अपीलांट ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 06/2013 अनवान सेमी व अन्य बनाम किशनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 31 अगस्त 2015 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 03 नवंबर 2015को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बहस करते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 62 बीघा, खसरा नम्बर 81/1 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 81/2 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 100 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम जाजीवाल धांधला हाल जाजीवाल श्रीबालाजी अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि है तथा मौके पर वक्त सेटलमेंट्स से अपीलांट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है। मौके पर रेस्पोडेंट्स को कोई कब्जा काश्त नहीं है। रामुराम व मदनलाल ने दिनांक 12.06.1965 को एक लिखत निष्पादित कर सम्पूर्ण जमीन के अपने खातेदारी अधिकार किशनाराम को सुपुर्द कर दिये जो लिखत संरपच ग्राम पंचायत मेहराम चौधरी द्वारा

	प्रमाणित की गई थी तथा उक्त लिखत के आधार पर ही किशनाराम का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। किशनाराम का वर्ष 1965 के पूर्व से ही वक्त सैटलमेंट से कब्जा काश्त चला आ रहा है, जिसमें किसी भी पक्षकार का कोई उज्र एतराज या रोक-टोक नहीं रही है तथा अपीलार्थीगण निर्बाध रूप से काबिज होकर पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से खेती करते आ रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण को अब कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में भंयकर कानूनी व वाक्याती की भूल की है। अपीलार्थी द्वारा जवाब व दस्तावेजात के आधार यह साबित कर दिया था कि ग्राम दईकड़ा हाल ग्राम बुधनगर में स्थित खेत खसरा नं. 885 रकबा 25 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1061/1 रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा यानि कुल 46 बीघा 6 बिस्वा जमीन तथा ग्राम जालेली दईकड़ा में स्थित खेत खसरा नं. 206/1 रकबा 21 बीघा एवं खसरा नं. 206/4 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा यानि कुल 84 बीघा 8 बिस्वा जमीन वक्त सेटलमेंट से किशनाराम व किस्तुराराम के कब्जाकाश्त में थी, लेकिन सेटलमेंट विभाग की गलती से सिर्फ किस्तुराराम का नाम ही दर्ज कर दिया था, जिसकी जानकारी होने पर किशनाराम ने 15.02.1960 को राजस्व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र पेश कर रिकर्ड दुरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर राजस्व रिकार्ड में अपीलार्थी किशनाराम का नाम दर्ज कर लिया गया। तब से अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी में अन्य किसी भी व्यक्ति को कोई हक व अधिकार नहीं है। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर विचार किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन अपीलाधीन आदेश की आड़ में रेस्पोडेंट संख्या 5 थानाधिकारी से साठगांठ करते हुए अपीलांट्स को अपने खेत में घुसने नहीं दे रहे तथा अपीलार्थीगण को जबरन थाने में बंद करने की धमकी दे रहे है। इस कारण प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण संख्या एक से तीन के पूर्वज चन्द्रा पुत्र जसा वक्त सैटलमेंट से पूर्व ही सन्	

	1945 में ही फौत हो चुके थे। राजस्व अधिकारियों की गलती से उनका नाम दर्ज कर दिया गया था जो बाद में सुधार किया जाकर उनका नाम हटा दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश विधिक प्रावधानों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त योग्य है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.08.2015 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेंट्स को पाबंद किया जावे कि वे अपीलान्ट्स की खातेदारी जमीन खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 62 बीघा, खसरा नम्बर 81/1 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 81/2 रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा कुल रकबा 100 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम जाजीवाल धांधला हाल जाजीवाल श्रीबालाजी के बाबत अपीलांट के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे तथा उसके उपयोग व उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। इसके अलावा ग्राम दईकड़ा हाल ग्राम बुधनगर में स्थित खेत खसरा नं. 885 रकबा 25 बीघा 1 विस्वा एवं खसरा नम्बर 1061/1 रकबा 22 बीचा 15 बिस्वा यानि कुल 46 बीचा 6 विस्वा जमीन तथा ग्राम जालेली दईकड़ा में स्थित खेत खसरा नं. 206/1 रकबा 21 बीघा एवं खसरा नं. 205/4 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा यानि कुल 84 बीघा 8 बिस्ता के बाबत अपीलांट का कब्जा काश्त होने के कारण प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते हुए प्रत्यर्थीगण द्वारा उक्त जमीन के बाबत अपीलांट के कब्जा काश्त व उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें रेस्पोडेंट्स का जन्म से हक व अधिकार निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील	

	सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे। विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख खतौनी मौजा जाजीवाल धोंधला परगना जोधपुर संवतः 1999 एवं जमाबंदी संवतः 2014 से 2017 ग्राम जाजीवाल धांधला तहसील जोधपुर के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 62 बीघा, खसरा नंबर 81/1 रकबा 10 बीघा, खसरा नंबर 81/2 रकबा 28.18 बीघा वक्त सेटलमेंट एव उससे पूर्व उभय पक्ष के पूर्वक **चन्दरो बेटो जसारो जातरो जाट वासी जालेली रो** के नाम से दर्ज रही है। चन्द्रा वल्द जसा की फौतेदगी पर वादग्रस्त आराजी विरासतन नामांतरकरण संख्या 07 ग्राम जालेली धांधला के जरिये उनके तीन पुत्रो रामू, किस्तूरा, किसनाराम के नाम दर्ज होना प्रकट होती है। सहखातेदार किस्तूरा के फौत होने पर वादग्रस्त आराजी विरासतन नामांतरकरण संख्या 8 ग्राम जाजीवाल धांधला के जरिये उनके विधिक वारिसान् मदन के नाम दर्ज हुई है। पत्रावली पर उपलब्ध स्टाम्प लिखत रूपये तीन दिनांक 12.06.1965 के मुताबिक खातेदार रामू वल्द चन्द्रारामजी, मदन वल्द किस्तूरराम पौता चन्द्रारामजी द्वारा लिखित निष्पादित कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 81 रकबा 62 बीघा, 81/1 रकबा 10 बीघा एवं खसरा नंबर 81/2 रकबा 28.18 बीघा में कब्जा काश्त खातेदार किशनाराम का स्वीकार करते हुए उक्त खसरे किशनाराम को सौपते हुए वादग्रस्त आराजी का म्यूटेशन/पट्टा किशनाराम द्वारा अपने नाम या अपनी आल-औलाद के नाम करवाने में किसी प्रकार का एतराज उन्हें या उनकी औलाद को नही होने के कथन किये गये है। उक्त स्टॉम्प लिखत की पालना में नामांतरकरण स्वीकृत किया जाकर खातेदार किशनाराम वल्द चन्द्राराम का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया जाना प्रकट होता है। अदालत हाजा द्वारा तलब मौका फर्द दिनांक 29.01.2017 के अवलोकन मुताबिक भी वादग्रस्त आराजी	

	पर किशनाराम पुत्र चन्द्राराम एवं उनके वारिसान् का ही कब्जा काश्त बताया गया है, जिससे प्रथमदृष्टया साबित है कि वादग्रस्त आराजी का कब्जा-काश्त रेस्पो. के पास नही है। रेस्पोडेंट्स द्वारा उनके पूर्वजों की स्वीकारोक्ति के विपरीत तथ्यो को छुपाते हुए इतनी लंबी अवधि बाद खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण/रेस्पो. के पूर्वज चन्द्राराम के नाम खातेदारी दर्ज होने के आधार पर पुश्तैनी मानते हुए अपीलाधीन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है जो विधिसम्मत नहीं है। जहां तक वादग्रस्त आराजी पुंश्तैनी होने के आधार पर रेस्पोडेंट्स के वादग्रस्त आराजी में खातेदारी अधिकारों के निर्धारण का प्रश्न है, वे मूलवाद में जरिये साक्ष्य तय होने है। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड एवं मौके पर काबिज व्यक्ति को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है। उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31 अगस्त 2015 निरस्त किया जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। **(ओमप्रकाश विश्नोई)** **राजस्व अपील प्राधिकारी** **जोधपुर**	